आदान-प्रदान हुआ, जिसमें पाकिस्तान का नाभिकीय संयम से सम्बद्ध प्रस्ताव भी शामिल था। भारत ने हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं की ओर पाकिस्तान का ध्यान केन्द्रित किया जो वस्तुतः हमारे आकार, अवस्थिति और सम्पत्तियों की वजह से हैं न कि किसी देश विशेषकी वजह से। हमने इस बात पर बल दिया हैं। इस संदर्भ में भारत ने मौजूदा विश्वासोत्पादक उपायों के उन्नयत्र तथा नाभिकीय और परम्परागत क्षेत्रों में नए विश्वासोत्पादक उपायों को रखने की आवश्यकता का प्रस्ताव किया। सरकार ने यह भी घोषणा की कि भारत विश्वसनीय न्यूनतम नाभिकीय निवारक बनाए रखेगा, पहले प्रयोग न करने के सिद्धान्त का अनुसरण करेगा, और आगे नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों पर रोक लगाए रखेगा तथा हथियारों की दौड़ से अलग रहेगा। इसलिए भारत का दृष्टिकोण संयम तथा निग्रह की दृष्टि से अनुकरणीय हैं।

20-21 फरवरी, 1999 को प्रधान मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देश अनावश्यक अथवा नाभिकीय हथियारों के अनधिकृत उपयोग के खतरे को कम करने के संबंध में तत्काल उपाय के खतरे को कम करने के संबंध में तत्काल उपाय करेंगे और नाभिकीय तथा परम्पराग क्षेत्रों में विश्वास पैदा करने के लिए उपायों का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से संकलपनाओं तथा सिद्धान्तों पर चर्चा करेंगे जिसका उद्देश्य युद्ध को रोकना हैं। इस अवसर पर भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न हुआ, जिसके अन्तर्गत दोनों देश नाभिकीय तथा परम्परागत क्षेत्रों में जहां आवश्यक हो, विश्वास पैदा करने के लिए उपाय करेंगे और करार सम्पन्न करेंगे। इस समझौता-ज्ञापन में इस बात पर भी सहमति हुई कि बैठकों में दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी ब्यौरे तैयार किए जाएंगे, जो 1999 के मध्य में परस्तपर सहमत तारीखों को होगी।

आई0 एस0 आई0 के पास जाली भारतीय पासपोर्ट

1761. **श्री ईश दत्त यावद** :
प्रो0 रामगोपाल यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई0 एस0 आई0 के एजेन्टों ने बड़ी संख्या में भारतीय पासपोर्ट बनवा रखे हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक बनाए गये ऐसे कितने पासपोर्टो का पता लगाया हैं और उन एजेंटों ने यह पासपोर्ट किन-किन कार्यालयों और किस आधार पर बनवाये थे और इस कार्य के लिए कौन जिम्मेदार हैं, और

(ग) अब तक बनाए गये ऐसे सभी पासफोटों को रद्द करने के लिए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार कब तक और क्या त्वरित एवं ठोस कार्रवाई कर रही हैं ?

विदेश मंत्रालय में (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) इस प्रकार की कोई खबर नहीं हैं। सरकार ऐसी सम्भावनाओं के प्रति सतर्क हैं तथा यथावश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

Memorandum of understanding between India and Pakistan

1762. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the foreign secretaries of India and Pakistan have, recently, signed a Memorandum of Understanding; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) Yes, Sir. During the recent visit of the Prime Minister to Pakistan, the Foreign Secretaries of India and Pakistan signed a Memorandum of Understanding on 21 February 1999.

(b) A copy of the MoU is attached here under.

Memorandum of understanding

The Foreign Secretaries of India and Pakistan:—

Reaffirming the continued commitment of their respective governments to the principles and purposes of the UN Charter;

Reiterating the determination of both countries to implementing the Simla Agreement in letter and spirit;

Guided by the agreement between their Prime Ministers of 23 September